संख्या– 27/15/2010–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 23/12/2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक *24,मई, 2010* को आयोजित 79 वीं बैठक में विचार के उपरान्त स्वीकृति –

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक *24, मई, 2010* को आयोजित 79 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने गृह (पुलिस) विभाग के निम्नलिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा आधार पर स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम पद नाम TFAL No.
1	श्री राम जी, आरक्षी 1548
2	श्री राम सिंह, आरक्षी 1613
3	श्री अलताफ अली, आरक्षी 2470
4	श्री ज्ञानेन्द्र राय, आरक्षी 3536

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियाँ की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है । उपरोक्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन करने का निर्णय लिया गया है । जिन कार्मिकों को उनके आश्रित माता/पिता की बीमारी के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन की संस्तुति की गई है, उन प्रकरणों में यह अवश्य देख लिया जाये कि माता/पिता वास्तव में कार्मिक के ऊपर आश्रित हों।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री डी.के. कोटिया, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

Deptt. of Personnel & Trg.
Receipt & Issued Section
23 DEC 2010
जारी किया/ISSUED